उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-85/2019/1254/92-2-2019-50जांच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 20 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर के कार्यकाल में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद के निरीक्षण दिनांक 22-11-2018 व 30-01-2019 में पूर्व सूचना के उपरांत ही निरीक्षण के समय उपस्थित न रहने, प्राय: जिला मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने, निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न पाये जाने, उच्चाधिकारियों को भ्रामक सूचना व त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने, स्वेच्छाचारिता आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एस0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बस्ती को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-85/2019/1254(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-1805/ ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/व्य0प0-श्रीएस0के0 गुप्ता/पत्रा0-71/2018-19 दिनांक 15-03-2019 के क्रम में।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बस्ती को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र **(संलग्नक सहित)** मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री एस0के0 गुप्ता, अधि0 अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in